बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(अररिया)–75/2020 522 **पटना, दिनांकः**– 23.06.23

आदेश

दिनांक 29.12.2022 को प्रभात खबर में सुश्री पुष्पा कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00535) के विरूद्ध सर्वेक्षण कार्यों में ग्रामीणों से अवैध राशि की वसूली करने के आरोप में स्थानीय पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की सूचना प्रकाशित होने के फलस्वरूप स्वतः संज्ञान लेते हुए बंदोबस्त पदाधिकारी, अररिया से इस कार्यालय के पत्रांक 4824 दिनांक 30.12.2022 के द्वारा कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 03–। दिनांक 12.01.2023 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि बौंसी थानाध्यक्ष द्वारा रैयतों से रूपये की उगाही करने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध बौंसी थाना में काण्ड संख्या 132/2022 Under Section 21B/420/384/506/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत ये न्यायिक हिरासत से फरार हो गयी हैं। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि ये शिविर कार्यालय से अनुपस्थित रहती हैं एवं पूरे सप्ताह की उपस्थिति दर्ज करती हैं। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इनके द्वारा सर्वेक्षण कार्यों में अपने पति की सहायता लेती हैं। प्राथमिकी दर्ज होने एवं अपने बदले पति से विशेष सर्वेक्षण का कार्य कराने के आधार पर नियोजन से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित से इस कार्यालय के पत्रांक 2948 दिनांक 25.04.2023 के द्वारा 03 दिनों के अन्दर इस निदेश के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। आरोपित का स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि तक एवं इसके बाद भी प्राप्त होने की सूचना संचिका में नहीं है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर तथा निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि आरोपित द्वारा भ्रष्टाचार जैसा कार्य किया गया है, जिसके फलस्वरूप इनकी गिरफ्तारी के साथ–साथ इनके विरूद्ध थाना काण्ड दर्ज हुआ है, जिसके ये प्राथमिकी अभियुक्त बनाए गए हैं। साथ ही गिरफ्तारी के बाद इनके फरार हो जाने से स्पष्ट है कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। साथ ही इनके द्वारा शिविर कार्यालय में नहीं आने के बाद भी अपनी उपस्थिति दर्ज की जाती रही है एवं सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अन्य व्यक्ति (अपने पति) की सहायता ली जाती है। सर्वे जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य में अन्य व्यक्ति की सहायता लेना कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इनका उपरोक्त कृत्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्य कर रहे एक संविदा कर्मी के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है। इनके द्वारा भ्रष्टाचार जैसा कृत्य करने से आमजनो में विशेष सर्वेक्षण कार्य के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होने एवं अन्य संविदा कर्मियों पर इसका कुप्रभाव पड़ने के दृष्टिगत इन्हें संविदा में बनाए रखना उचित नहीं होगा।

अतः उपरोक्त के आलोक में **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)"** के आलोक में सुश्री पुष्पा कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00535) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

23/6/23
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(अररिया)–75 / 2020...522... **पटना, दिनांक** :– 23.06.23

प्रतिलिपि :– सुश्री पुष्पा कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00535), बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(अररिया)–75 / 2020...522... **पटना, दिनांक** :– 23.06.23

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0राज्य यो0(आरोप)खगड़िया–30 / 2023...522... **पटना, दिनांक** :– 23.06.23

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप